1 (14) (122)

II/निग०/सिंगरौली/2018/01470

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर
सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

रामलाल गुप्ता तनय रामविलाष गुप्ता, निवासी ग्राम बडोखर, तहसील देवसर, जिला सिगरौली (म0प्र0) ————आवेदक

बनाम्

1— भोला प्रसाद तनय लालजी चमार, निवासी ग्राम बडोखर, तहसील देवसर, जिला सिगरौली (म0प्र0)

2— म0प्र0 राज्य ————अनावेदकगण

अधि० श्री रजनीश मिश्रा द्वारा पेश / 28.2.18

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार, तहसील देवसर, जिला सिगरौली दिनांक 31/07/2017 वावत् प्रकरण क0–81/अ–74/15–16

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत है ।

2— यह कि वरिष्ठ न्यायालय के आदेश का पालन करना अधीनस्थ न्यायालय का वैधानिक कर्तव्य है, लिहाजा अपर कमिश्नर रीवा के आदेश दिनांक 17/08/2016 के परिपालन में अधीनस्थ न्यायालय को स्वयमेव ही रिकार्ड दुरूस्त करना चाहिए था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने वरिष्ठ न्यायालय के आदेश का पालन न कर भारी भूल की है ।

3— यह कि अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कतई गलत है कि विवादित भूमि रास्ते की भूमि है, जबकि सही स्थिति यह है कि

रामलाल

(14)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक /निग0/भू–रा0/2018/1470 जिला–सिंगरौली

रामलाल गुप्ता/भोला प्रसाद चमार

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्द नारायण पिडिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील देवसर के प्रकरण क्रमांक 81/अ–74/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 44(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हों। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	